FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर **बनाम** राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट नम्बर 07 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर २०२३/56

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.2023	भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर जरिए शाखा प्रबन्धक भास्कर शर्मा भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। शाखा प्रबन्धक के द्वारा निवेदन किया कि कृषक जसवीर सिंह, दर्शन सिंह पिसरान गुलजार सिंह जातियान जटसिख निवासीगण 24 ओ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा भूमि चक 24 ओ के खाता संख्या 30/31 के मुरब्बा नम्बर 15, 18, 19, 32, 55 में 2.024 हेक्टैयर नहरी भूमि भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर के पास रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। ऑनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से उक्त भूमि बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ऑनलाईन जमाबन्दी में उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे। शाखा प्रबन्धक को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जसवीर सिंह, दर्शन सिंह पिसरान गुलजार सिंह जातियान जटसिख निवासीगण 24 ओ तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा भूमि चक 24 ओ के खाता संख्या 30/31 के मुरब्बा नम्बर 15, 18, 19, 32, 55 में 2.024 हेक्टैयर नहरी भूमि भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर के पास रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। ऑनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से उक्त भूमि बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज नहीं की गई है। अतः उक्त भूमि को भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर में रहन दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 ओ के खाता संख्या 30/31 में क्रम संख्या 8 पर अंकित जसवीर सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा 1.012 हेक्टैयर भूमि व क्रम संख्या 8 पर अंकित दर्शन सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा 1.012 हेक्टैयर भूमि को रहन भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :–रीडर/2023/118 दिनांक :–01.03.2023

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 07/2023 अनवान भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 संबध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 21.02.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 ओ के खाता संख्या 30/31 में क्रम संख्या 08 पर अंकित जसवीर सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा 1.012 हेक्टैयर भूमि व क्रम संख्या 8 पर अंकित दर्शन सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा 1.012 हेक्टैयर भूमि को रहन भारतीय स्टेट बैंक (ए.डी.बी.) शाखा श्रीकरणपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:31 IST
Reason: SelfAttested